



2026:AHC:32256

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2158 सन् 2026

रमेश चंद्र मिश्र

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : वरिष्ठ अधिवक्ता, वेद प्रकाश त्रिपाठी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से श्री आर० के० ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, अधिवक्ता द्वारा किया गया और राज्य की ओर से श्री गौरव सिंह, स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रयागराज जिले के कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के 7 पद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि उसकी नियुक्ति प्रारंभ में 07.10.1089 को कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी, लेकिन वर्तमान में उसे 29.05.2023 को प्रयागराज कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। याचिकाकर्ता जिस अगले पद पर पदोन्नति चाहता है, वह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वरिष्ठता सूची उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम 1991 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जानी है और पदोन्नति उत्तर प्रदेश विभागीय मंत्रिस्तरीय कैडर सेवा नियम 2014 तथा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार की जानी है।

3. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि विभिन्न पद रिक्त हैं और याचिकाकर्ता पूरी तरह से योग्य और पात्र है तथा वरिष्ठता सूची में उच्च पद पर कार्यरत है, फिर भी आज तक पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

4. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक

2

अधिकारी के पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार करने की प्रार्थना की गई है।

5. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची 24.04.2020 को तैयार की गई थी और उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के दावे पर संक्षिप्त अवधि में विचार किया जाएगा।

6. बार द्वारा प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए और उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 27.02.2026 तक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रत्यर्थी संख्या 2, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त अभ्यावेदन के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर, वरिष्ठता, उपयुक्तता और स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए, विधि के अनुसार सख्ती से विचार करे।

13 फरवरी, 2026

एन०एस०राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"